

## अध्याय-5 (मैनुअल-4)

### नीति निर्धारण व कार्यान्वयन के संबंध में जनता या जनप्रतिनिधि से परामर्श के लिए बनाई गई व्यवस्था का विवरण

#### टेण्डर एडवाइजरी कमेटी

इस कमेटी के अध्यक्ष प्रबंध संचालक महोदय हैं तथा मुख्य महाप्रबंधक सदस्य सचिव हैं। इस कमेटी में शासकीय विभागों के 14 विभाग प्रमुखों के सदस्य होते हैं। साथ ही प्रेसिडेंट, छत्तीसगढ़ चेम्बर आफ कामर्स, चेयरमेन, पी.एच.डी., चेम्बर आफ कामर्स एवं चेयरमेन, उद्योग महासंघ के प्रतिनिधि भी सदस्य नामित होते हैं। इस कमेटी में जनता की भागीदारी अनिवार्य नहीं है।

निगम के लिए नीतियों का निर्धारण शासन द्वारा किया जाता है, तथा इनके क्रियान्वयन में औद्योगिक संगठनों की समय-समय पर सलाह लेने की परीपाटी का पालन किया जाता है। यद्यपि इसकी कोई विधिवत व्यवस्था नहीं है।